न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 09 सन 2021

अनवान :–

1. चित्रप्रकाश पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी ननाउ तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. सन्तुसिह पुत्र सुरजनसिह जाति राजपूत निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता सायल
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 30/9/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक व खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक कुल 7.8660हैक सायल व गैरसायल न0 1 व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की खातेदारी भूमि है ।

उक्त भूमि का सायल व गैरसायल न0 1 व दावा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 में आज से 10–12 साल पहले अपने परिवार की शान्ति सदभावना बनाये रखने के लिये आपसी में सहमति से बटवारा कर लिया तथा मुताबिक सहमति बटवारा सायल अकेला खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि का खातेदार काश्तकार होगा तथा उक्त भूमि पर सायल का मुताबिक सहमति बटवारा कब्जा काश्त में है तथा उक्त भूमि मे गैरसायल न0 1 तथा दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का कोई हक व हिस्सा नही है इसी प्रकार खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक मुताबिक बटवारा व सहमति गैरसायल न0 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के कब्जा में है तथा सायल को कोई हक व हिस्सा नही होगा तथा उपरोक्तुनसार हक व हिस्सा के मुताबिक बटवारा सहमती सायल व गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक का सायल अकेला मुताबिक बटवारा सहमती खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण न0 2 ता 8 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही हे तथा इसीप्रकार खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक रोही मौजा ननाउ के गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण न0 2 ता 8 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में सायल को काई हक हिस्सा नही होगा मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि मौका की स्थिति के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है जिससे खातेदारी हकों का हनन होता है वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मौका रिकार्ड में मौका स्थिति के खिलाफ मुश्तरका दर्ज होने से गैरसायल न0 1 सायल के बटवारा में मिली भूमि के कब्जा काश्त में मदाख्लत बेजा करने की योजना बना रहा है जिससे गैरसायल न0 1 का उपरोक्त मकसद पूरा होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि के कब्जा काश्त में खुद व अपने आदमियों द्वारा सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा ननाउ की पैतृक कृषि भूमि में खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि उतरादाता के कब्जा काश्त में है किन्तु सयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण सायल परेशान करना चाहता है उतरदाता ने काफी रूपया लगाकर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया हे तथा पिता की मृत्यू के पश्चात लगातार काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी काश्त की हुई है सायल किसी भी प्रकार से दावा व प्रार्थना पत्र लाने का अधिकारी नही है सायल रंजिश पूर्वक वाद/प्रार्थना पत्र पेश की है क्योकि सायल भी सयुक्त खाते में 1/9 हिस्सा का काश्तकार है तथा अन्य जो दावा में प्रतिवादीगण है का 7/9 हिस्सा के तथा उत्तरदाता का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है किसी का बटवारा कैसे है नही लिखा केवल अच्छी किस्म की भूमि हडपने के उददेशय से अकेले बटवारा दुर्भावना पूर्वक लिखकर वादी के कब्जा काश्त में दखल देना चाहते है प्रार्थना पत्र काबिजे खारिज है।

सायल द्वारा केवल मात्र उतरदाता के विरूद्व स्थगन चाहा गया है जो विधि विरूद्व है क्योकि ना तो कोई बटवारा साबित है ना किसी खातेदार का कहॉ कहॉ कब्जा है नही दर्शाया केवल मात्र सहमति बटवारा लिख देने मात्र से बटवारा नही माना जा सकता है वाद भूमि उतरदाता के कब्जा काश्त में है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे गैरसायल संख्या 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक व खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक कुल 7.8660हैक सायल व गैरसायल न0 1 व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 की खातेदारी भूमि है ।

उक्त भूमि का सायल व गैरसायल न0 1 व दावा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 में आज से 10–12 साल पहले अपने परिवार की शान्ति सदभावना बनाये रखने के लिये आपसी में सहमति से बटवारा कर लिया तथा मुताबिक सहमति बटवारा सायल अकेला खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि का खातेदार काश्तकार होगा तथा उक्त भूमि पर सायल का मुताबिक सहमति बटवारा कब्जा काश्त में है तथा उक्त भूमि मे गैरसायल न0 1 तथा दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का कोई हक व हिस्सा नही है इसी प्रकार खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक मुताबिक बटवारा व सहमति गैरसायल न0 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के कब्जा में है तथा सायल को कोई हक व हिस्सा नही होगा तथा उपरोक्तुनसार हक व हिस्सा के मुताबिक बटवारा सहमती सायल व गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक का सायल अकेला मुताबिक बटवारा सहमती खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण न0 2 ता 8 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही हे तथा इसीप्रकार खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 841/40 की 7.1960हैक रोही मौजा ननाउ के गैरसायल न0 1 तथा दावा के प्रतिवादीगण न0 2 ता 8 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में सायल को काई हक हिस्सा नही होगा मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि मौका की स्थिति के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज है जिससे खातेदारी हकों का हनन होता है वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मौका रिकार्ड में मौका स्थिति के खिलाफ मुश्तरका दर्ज होने से गैरसायल न0 1 सायल के बटवारा में मिली भूमि के कब्जा काश्त में मदाख्लत बेजा करने की योजना बना रहा है जिससे गैरसायल न0 1 का उपरोक्त मकसद पूरा होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि के कब्जा काश्त में खुद व अपने आदमियों द्वारा सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ की पैतृक कृषि भूमि में खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि उतरादाता के कब्जा काश्त में है किन्तु सयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण सायल परेशान करना चाहता है उतरदाता ने काफी रूपया लगाकर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया हे तथा पिता की मृत्यू के पश्चात लगातार काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी काश्त की हुई है सायल किसी भी प्रकार से दावा व प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लाने का अधिकारी नही है सायल रंजिश पूर्वक वाद/प्रार्थना पत्र पेश की है क्योकि सायल भी सयुक्त खाते में 1/9 हिस्सा का काश्तकार है तथा अन्य जो दावा में प्रतिवादीगण है का 7/9 हिस्सा के तथा उत्तरदाता का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है किसी का बटवारा कैसे है नही लिखा केवल अच्छी किस्म की भूमि हडपने के उददेशय से अकेले बटवारा दुर्भावना पूर्वक लिखकर वादी के कब्जा काश्त में दखल देना चाहते है प्रार्थना पत्र काबिजे खारिज है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल एवं गैरसायल एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि में किसी प्रकार से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है एवं वाद भूमि सायल को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि सायल एवं गैरसायल एवं दावा में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है एवं विरास्तन से भूमि सायल एवं गैरसायल व दावा के प्रतिवादीगण के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज होनी प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायल दोनो के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

सायल का कथन है कि रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि सायल को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई जो उसके कब्जा काश्त में है।

गैरसायल का कथन है रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि उसके कब्जा काश्त में है।

सायल एवं गैरसायल दोनो ही रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 731/1 की भूमि पर अपना अपना कब्जा काश्त होना व्यक्त कर रहे है कब्जा काश्त/बाहमी बटवारा का कथन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर ही तय हो सकता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है सयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है अर्थात सायल एवं गैरसायल दोनो का समान रूप से हकदार माने जा सकते है क्योकि विवाद इन्ही दोनेा के मध्य है

जब तक वाद में यह तय नही हो जाता कि रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि किसके कब्जा काश्त में है तथा पूर्व में वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का बटवारा हुआ है या नही तब तक वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी उचित प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल एवं गैरसायल न0 1 दोनो के पक्ष में साबित होने के कारण उभयपक्षों सायल एवं गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 599/584 के खसरा न0 731/1 की 0.6700हैक भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखी जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
नोहर(हनुमानगढ)